[भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्तूबर, 2015

सं. 20/2015- सेवा कर

सा.का.नि. (अ)- केन्द्र सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 467 (अ), के अंतर्गत दिनांक 20 जून, 2012 को प्रकाशित वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 25/2012- सेवा कर दिनांक 20 जून, 2012 में एतदद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में, -

i. आरंभिक पैरा में, प्रविष्टि 29 में खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा -

''(छ) खाता खुलवाने, नकदी जमा करवाने, नकदी निकलवाने, ई-जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करने, आधार सिडिंग करने के माध्यम से बैंकिंग कम्पनी ग्रामीण क्षेत्र शाखा में प्रधानमंत्री जनधन योजना के दायरे में आने वाले आधारभूत बचत बैंक जमा खाते के संबंध में बैंकिंग कम्पनी के कारोबार सुलभ करता अथवा कारोबार संवाददाता;

(छक) खण्ड (छ) में वर्णित सेवाओं के संबंध में कारोबार सुलभकर्ता अथवा कारोबार संवाददाता के माध्यस्थ के रूप में कोई व्यक्ति।

(छख) ग्रामीण क्षेत्र में किसी बीमा कम्पनी के संबंध में कारोबार सुलभकर्ता अथवा कारोबार संवाददाता; या"

ii. पैरा 2 में, -

(क) (छ) के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित की जाएगी, यथा-

''(छक) बचत बैंक जमा खाते से अभिप्राय है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इससे संबंधित, जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आधारभूत बचत बैंक जमा खाता'';

(ख) खण्ड (ट) के उपखण्ड (ii) में ''धर्म या आध्यात्मिकता'', शब्दों के स्थान पर ''धर्म, आध्यात्मिकता या योग'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 354/101/2015-टीआरयू]

(संतोष कुमार मिश्रा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना, दिनांक 20 जून, 2012 की अधिसूचना सं. 25/2012- सेवा कर के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 20 जून, 2012 को सा.का.नि. सं. 467 (अ), के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और दिनांक 30 अप्रैल, 2015 की सा.का.नि. 348 (अ) के तहत, दिनांक 30 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना सं. 12/2015-सेवा कर के अंतर्गत अंतिम बार संशोधित की गई थी।